(2)

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक- प.9(8)कार्मिक/क-5/90 जयपुर, दिनांक 4-10-93

-: आदेश :-

विषय- राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं.प.9(8)कार्मिक क-5/90 दिनांक 28.9.93 द्वारा राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21% (इक्कीस प्रतिशत) और दिनांक 1.9.93 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं. प. 11(25)आर.एण्डपी/एसडब्ल्यूडी/8863। दिनांक 2?.8.93 द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गई जातियों और वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया था।

कार्मिक(क-5)विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.9.93 के सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अधिसूचना की क्रियान्विती विधान सभा चुनाव, 1993 के परिणाम घोषित होने तक स्थगित रखी जावे तथा उक्त आरक्षण के अन्तर्गत सीधी भर्ती के जरिये कोई नियुक्ति नहीं की जावे।

(हस्ताक्षर)
(ज़मीर ????)
शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2- समस्त विशिष्ट सहायक, सलाहकार महामहिम राज्यपाल/मुख्य सचिव/
3- समस्त प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, राज्य संचालित समस्त स्वायत्तशासी संस्था/बोर्ड/निगम आदि को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ विभिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को भी इससे अवगत कराने का कष्ट करें।
4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5- सहायक सचिव, मंत्रिमण्डल, सचिवालय को महामहिम राज्यपाल महोदय के सलाहकार परिषद की आज्ञा सं. 144/93 दिनांक 18.9.93 एवं इस विभाग के समसंख्यक पृष्ठांकन दिनांक 30.9.93 के सन्दर्भ में।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4- रजिस्ट्रार निबन्धक, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5- निबन्धक, राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव